



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052021-226807
CG-DL-E-01052021-226807

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1593]
No. 1593]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 2021/ वैशाख 10, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 2021/ VAISAKHA 10, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2021

का.आ. 1717(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4008 (अ), तारीख 4 नवम्बर, 2019, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 6 नवम्बर, 2019, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

और, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य 138.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़ और बैगून तहसील में स्थित है;

और, अधिसूचना में उल्लिखित है कि बस्सी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा अधिसूचना में राजस्व क्षेत्र अभयारण्य का भाग नहीं है। ओराई नदी को पार करके जो कि इस अभयारण्य से ओराई और बस्सी बांधों को निर्मित किया गया है। यह बांध जंगली पशुओं और पक्षियों के लिए अच्छी जल सुविधा प्रदान करता है। यह जंगली पशुओं और पक्षियों के लिए के विभिन्न प्रकार के वास के साथ समृद्ध जैव-विविधता का वास है। इस क्षेत्र में औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां की विविधता पाई जाती है। धार्मिक स्थल जैसे झरिया महादेव, तूकरा माता और झालेश्वर महादेव तीर्थयात्रियों की बृहत् संख्या को आकर्षित करता है;

और, अभयारण्य की मुख्य वृक्ष प्रजातियां अकैशिया कटेचु (खैर), अकैशिया लेउकोफोलिया (रोंझ), अकैशिया निलोटीका (देसी बावलिया), अकैशिया सेनेगाल (कुमता), अदीना कोर्डिफोलिया (हलदु), एलेग मार्मेलोस (बिलि), ऐलैथस एक्सेलसा (अरदुसा, पाबा), अलेगियम सलविफोलियम (अनकोल), अलबिजिया लेब्बेक (ब्लैक सिरिस), अलबिजिया ओडोरातिस्सिमा (सफेद सिरिस), अल्बिजिया प्रोसेरा (सफेद सिरिस), अन्नोना सेक्यूमोसा (सिताफल), अनोगेस्सूस पेंदुला (धोकडा), अनोगेस्सूस लतीफोलिया (धावदा), अनोगेस्सूस सेरिकिया (अदरूका, इंदूक), अनोगेस्सूस अकुमिनाआ (धोक), अजादीराटा इंडिका (नीम), बलानिटेस ऐगयपतिका (हींगोट), बउहेनिया रेकेमोसा (झींझा, हीतरी), बोम्बक्स केइबा (सेमल), बोसवेल्लीया सेर्राटा (सलार), ब्यूटिया मोनोस्पर्म (खाखरो), कैशिया फिस्तुला (करमेला), कैशिया सैमेया (कसिद), कोरदीया मिक्सा (गुंदा, लिसोदा), करेटवा रेलिगिओसा (वरना), डालबेरगिया सिस्सू (सिस्सू), दीओस्पयरोस मेलानोक्यलोन (तिमरू), इहरेतिया लेविस (ताम्बोलिया), इम्बलिका ओफिफिकिनालिस (अमला), एरीश्रिना सुबेरोसा (धेड खाखरो), यूकेलिप्टस स्पा. (निलगिरी), फिकुस बेंघालेंसिस (वाद), फिकुस रेकेमोसा (उमारा), फिकुस रेलिगिओसा (पिपलो), फलाकोउरतिया मोंटाना (कांकां), गरदेनिया रेसिनिफेरा (दीकामारी), ग्रेविया हीरसुता (खाड धामन), ग्रेविया तेनाक्स (गंगेटी), ग्रेया टिलियाफोलिया (धामन), ग्रेया विलोसा (गैंगेटी), होलोपेलिया इंटिफोलिया (कांजी), हिमेनोडिक्टोन एक्सेलस (कुनिओ), लात्रेया कोरोमेंदेलिका (गोदला), लेकेइना लेउकोकेफला (सुबाबुल), लिमोनिया अकेदीस्सिमा (कोतबाडि), मधुका इंडिका (महुदो), मांगिफेरा इंडिका (अम्बा), मेलिया एजेडेरच (बेकैन नीम), मित्राग्याना परविफ्लोरा (कलम), मोरिंगा ओलीफेरा (सहजाना), पिथेकेल्लोबिउम दुलका (किकर), पोंगामिया पिन्नाटा (करंज), प्रोसोपिस किनेरिया (खिजदो), प्रोरोसोपस जुलिफलोरा (विलायती), सोयमिदा फबरीफुगा (रोयान), स्टेरकुलिया उरेंस (कदया), टमरिंदुस इंडिका (खतरी अमली), टेकोमेलिया उंदुलाटा (रोहीदा), वरिघटिया टिंकटोरिया (दुधी), वरीघटिया टोमेंटोसा (दुधी), जिजिफस मउरीटिना (बोरदी), जिजिफस क्यलोफयरूस (घाट बोर), आदि हैं;

और, अभयारण्य से झाड़ियां अबेलमोस्चुस मानिहोट (जंगली भिन्डी), एचीरान्थुस एस्पेरा (उलटा कांटा), एलो वेरा (पाथा), ब्रैसिका निग्रा (काली राई), कैनबिस सैतिवा (भांग), कैसिया अबरूस (चिमोड), कैसिया तोरा (पुवाड), चेनोपोडिप्पे एल्बम (चिल), क्रोटोलारिया जुन्केया (सनिया), क्रोटोलारिया मेडिसिनिया (रान मेथी), डेसमोडियम डाइकोटोमम (शाल परनी), इकलिप्टा अल्बा (भांगारो), इवोल्वुलस अलोसिनोइड्स (कालीशंखावली), लेउकास एस्पेरा (कुबी), लेउकेस केफलोटेस (कुबो जुंगली), लेउकस जेयलानिका (कुबो), लिनडेंबेरगिया इंडिका (पाथारचाटी), ओकिमुन कनुम (जंगली तुलसी), फयल्लान्थुस निरूरी (भोय अमली), फयसालिस मिनिमा (पोपाटिया), पोरतुलाकेया ओलाराकेया (मोटी लुनी), प्रोरतुलाकेया क्यदरीफिदा (जिनी लुनी), सैस्मुम इंडिकम (ताल), सोलानुम सुराट्टिसे (बोइ रिंगनी), तरीबुलुस टेर्रेस्ट्रीस (गोखरू), त्रिदेक्स प्रोकुम्बेस (काली मेंधी), उरगिनिया इंडिका (जंगली पियाज), वेरनोनिया अनथिहेलमिनटिका (काली जिरी), क्रथियम स्टेरुमारीयम (गोखारू), जोरनिया डिफायल्ला (समार अनी), आदि अभिलिखित की गई हैं;

और, अभयारण्य में मुख्य झाड़ियां अधाटोडा वेसिका (अरदुसा), क्लोटरोफिस गिगंटीया (अकडो), केलोटरोपिस प्रोकेरा (अकदो), कप्पेरिस देकदुया (केर), केप्परिस सेपिरिया (कंधेर), क्लेरोडेंड्रॉन फ्लोमीडीस (अरानी), डेंड्रोकोलामस स्ट्रस (बैनस), डेंड्रोपथो फुलकुटा (वाही-हंकल), डिक्लोस्टैचिस किनेरिया (गोया खैर), इयफोर्बिआ कडुईफोलिया (थोर), इयफोरबिया निवुलिया (थोर), हेलिकटेरेस इसोरा (मरोड फाली), होलाहैना एंटीडीसेंटरीका (कडवा), जतरोफा कर्कुस (रतन ज्योत), जतरोफा गोस्सयपिफोलिया (छोटि रतन ज्योत), किरगानेलिया रेटिकुलाटा (कम्बोइ), लेप्तादेनिया पयरोटेचनिका (खिंप), मिमोसा हमेटा (अइला), निकटैथस अरबोर-ट्रिस्टिस (तमात), प्लुम्बेगो जेयलानिका (चित्राक), रिक्नुस कोम्मुनिस (अरूदो), सेकुरिनेगा लेयकूप्यरूस (सेनवि), थेस्पेसिया लेम्पास (परास पिपल), विटेक्स निगुंदो (नगोड), वोगेलिया इंडिका (चितवाल), वूडफॉर्डिया फ्रुटीकोसा (धावदी), जिजिफस गलाबेराटा (बोरदी), जिजिफस नुम्मुलारिया (चनिबोर), आदि उपलब्ध हैं;

और, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य से मुख्य पर्वतारोही पौधे अबरूस प्रेकटोरीउस (राट्टी), अम्पेलोकिस्सूस लतीफोलिया (खाटा लिम्बु), ऐस्पैरागस रकेमोसुस (सतवारी), केरदीओस्पेरमुम हलीककबुम (कक मरदीका), केलसट्रस पानिकुलता (माली), किस्साम्पेलोस पेरेइरा (पहोद बेल), कोकिनिया इंडिका (टिन्डोरी), कोक्कुलुस हिर्सुटुस (वेवडी), कस्कूटा रिफ्लेक्सा (अमरबेल), डायोस्कोरिया बुलबिफेरा (वाराही कंड), हेमिदेस्सुस इंडिकुस (दुधवेल), लपोमोइया निल (कालादाना), लुफिफया अकुटांगुला (तुरिया), लुफफा इचीनता (काकडवेल), मुकुना परूरीइनस (कवच), पेउरारिया तबेरोसा (गेजवी), रायनचोसिस ब्रेकटेअटा (कमल वेल), आदि अभिलिखित है;

और, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य जीवजंतु बनैला सूअर (सस स्क्रोफ्रा), ग्रे मुसक सेराव (सुंचुस मुरीनुस), चमगादड़ (कयनोप्टेरस स्फिक्स), फ्लाइंग लोमडी (पेटेरोपुस गीगेंटिक्स), तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), सामान्य लंगूर (प्रेबयतीस इन्तेल्लुस), चित्तीदार लकड़बग्घा (हैना हैना), बनबिलार (फेलिस चाउस), फाइव स्टीपेड पाम गिलहरी (फुनाम्बुलुस पेन्नांटी), भारतीय साल (मानिस क्रैसिकाउडाटा), भारतीय लोमडी (वुल्प्स बेंगलेंसिस), सामान्य नेवला

(हेरपेस्टेस इडवारडसी), रूड्डी नेवला (एच. स्मिथी), हाउस रेट (रट्टुस रट्टुस), ब्लू बुल (बोसेलाफुस ट्रागोकेमेलुस), भारतीय खरगोश (लेपुस निगरीकोल्लीस), भारतीय साही (हिस्ट्रीक्स इंडिका), चिन्कारा (गजेल्ला गजेल्ला), सियार (कैनिस ऑरियस), भारतीय छोटा सिविट (विवारीकुला इंडिका), भारतीय बुल्ल मेंढक (राना टिगरिना), भारतीय बुरोइंग मेंढक (आर.टोमोप्टेरना), स्किप्पर मेंढक (आर.कयनोफ्लीक्टिस), क्रिकेट मेंढक (आर.लिम्नोचारिस), भारतीय बलून मेंढक (उपरोदोन स्यस्टोमा), सामान्य टोड (बुफो मेलानोकटीकटुस), मार्बेड टोड (बी.अनदेसोनी), सामान्य स्किंक (माबुया क्रेनाटा), चेकेरेड कैलवैक (नाटरीक्स पिस्कटोर), रेट सांप (पतयास मुकोसुस), हाउस लिजार्ड (हेमिदाकटयलुस फलाविविरीदीस), स्टेर्रेड कछुआ (गेआचालोने इलेगांस), गार्डन लिजार्ड(कलोटेस वेरसिकोलोर), सामान्य भारतीय करैत (बुंगारूस कैरूलेनस), रूससेल नाग (विपर रूससेल्ली), भारतीय चामैलेओन (चामैलेओन ज़ेलानिक्स), कटला (कटला कटला), रोहु (लाबेओ रोलिता), गरीगल (किर्राहीना मरिगल), पुट्टुही (पुन्तिउस साराना), सारसी (लेबेओग्रानीउस), लंची (वाल्लगो अट्टु), सिंधारा (मयस्टस सैंघाटी), कटेर (मयस्टस कवास्सिस), सेंवाल (चान्ना मनिलिस), सिंगही (हेटेरोपंतुस्टिस फॉस्सिलिस), बाम (एम. अरमातुस), सुइया (बेल्लाना कॉसिला), बाता (लाबेओ बाता), दुधिया (लेबेओ बुग्गेट), आदि पाए जाते हैं;

और, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य से पक्षी प्रजातियां पेंटेड फरांकोलिन (फरांकोलिन पिकटस), ग्रे फ्रैंकोलिन (एफ.पोंदीकेरीअनुस), सामान्य बटेर (कोतुरनिक्स ओतुरनिक्स), बार्रेड बटन बटेर (टी. सुस्किटोर), भारतीय मोर (पावो क्ररीस्तुस), रूड शेलडक (टोडोराना फेरुगिनेया), गडवाल(अनास स्ट्रेपा), यूरेशियन विजेओन (ए.पेनेलोपा), स्पॉट-बिल्ड डक (ए. पोइकिलोयहयंचा), सामान्य पोचार्ड (आयथा फरिना), सामान्य टैल (ए.क्रेक्का), येलो-क्रोनेड बुडपेकर (डेंड्रोकोपोस महाराट्टेन्सिस), ब्लैक रोम्पड फ्लामेबाक(डिनोपियम बेंघालेंसिस), कोप्परस्मिथ बारबेट (एम. हैमकेफला), भारतीय ग्रे हार्नबिल्ल (ओकयकेरोस बिरोस्तरिस), सामान्य हुपु (उपुपा इपोप्स), इररोपैन रोल्लेर (कोरोकिस बेंघालेंसिस), भारतीय रोल्लेर (सी. बेंघालेंसिस), सामान्य किंगफिशर (उपुपा इपोप्स), वाइट-थ्रोटेड किंगफिशर (हेलसीयन स्माइनेसिस), विचित्र किंगफिशर (केरयले रूडिस), ग्रीन बी-ईटर (मेरोप्स ओरिइंटलिस), रोज-रिंगेड पाराकैत (पी.करामेरी पलुम-हेडेड पाराकीट (पी. कीनोसिलाला), हाउस स्वीफ्ट (अपुस अफ्फिनिस), यूरेशियन ईगल उल्लू (बुबो बुबो), स्पोट्टेड उल्लू (अथेने बरामा), भारतीय निघतजार (कप्रिमुल्गुस एशियाटिकस), कावान्ना नाइटजर (सी.अफ्फिनिस), रॉक कबूतर (कोलुम्बा लिविया), येलो-फूटेड ग्रीन पिजन (तरेओन फोइनिकोप्टेरा), लउघींग कबूतर (स्टेरेप्टोपेलिया सेनेगालेंसिस), स्पोट्टेड कबूतर (एस.चिनेंसिस), यूरोपियन कोल्लारेड कबूतर (एस. डेकोओक्टो), सामान्य मोरेन (गल्लिनुला क्लोरोपस), सामान्य कूट (फुलिका अतरा), सामान्य रेडशांक (ट्रिंगा टेटनस), ग्रीन सैंडपाइपर (टी.ऑक्रोपस), बुड सैंडपाइपर(टी. ग्लेरोला), सामान्य सैंडपाइपर (एक्टाइटिस हाइपोलेक्योस), युरोपियन थिक-कनी (बुरहिनुस ओडिसीनेमस), छोटा-रिंगड प्लोवर (चराड्रियस डब्रियस), रेड-वाॅटलड लैपविंग (वनेल्लुस इंडिकस), रिवर टर्न (स्टर्ना अर्टेटिया), ब्लैक-शोल्ड काइट (एलेनस केइरूलेउस), ब्लैक काइट (मिबुस मिगरांस), इजिप्टियन गिद्ध (नेओफरोन पेरकनोपटेरुस), आदि अभिलिखित हैं;

और, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ जिला के बस्सी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 3.0 किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार बस्सी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 3.0 किलोमीटर तक विस्तृत होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 106.91 वर्ग किलोमीटर है। स्थानों में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का न्यूनतम विस्तार शून्य है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग और पीडब्ल्यूडी सड़क पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर चिह्नित है।

दिशा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा बिंदु	दूरी
उत्तर	1 से 14	0 से 3 किलोमीटर
उत्तर-पूर्व	14 से 17	0.015 से 0.5 किलोमीटर
पूर्व	17 से 48	0 से 1.11 किलोमीटर
दक्षिण-पूर्व	48 से 58	0 से 3 किलोमीटर
दक्षिण	58 से 81	0.5 से 3 किलोमीटर
दक्षिण-पश्चिम	81 से 84	0.157 से 1.4 किलोमीटर
पश्चिम	84 से 89	0.015 से 0.325 किलोमीटर
उत्तर-पश्चिम	89 से 1	0.030 से 0.650 किलोमीटर

- (2) बस्सी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध-I के रूप में संलग्न है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सीमांकन को दर्शाते हुए बस्सी वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख और उपाबंध-IIग के रूप में संलग्न है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और बस्सी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III के सारणीक और सारणीख में दी गई है।
- (5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-IV के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्वहन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सरण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण)

अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।

8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	प्रतिषिद्ध।
10.	मछली पलना।	प्रतिषिद्ध।
आ. विनियमित क्रियाकलाप		
11.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।

15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
16.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
23.	फार्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
25.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
29.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
30.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i)	जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि को प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामांकित किया जाएगा	सदस्य;
(iii)	राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को नामांकित किया जाएगा	सदस्य;
(iv)	राज्य जैव विविधता बोर्ड से एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	लोक निर्माण विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य;
(vi)	शहरी योजान विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य;
(vii)	उद्योग विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य;
(viii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ)	सदस्य;
(ix)	अवैतनिक वन्यजीव वार्डन, चित्तौड़गढ़	सदस्य;
(x)	सहायक वन संरक्षक, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश-निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा. सं. 25/21/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I


राजस्थान राज्य में बस्सी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	मेघपुरा चौराहा एन.एच. 76 से परसोली ग्राम की डिस्पेंसरी तक है। इस बिंदु से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा एन.एच. 76 के साथ पुनः पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 7 (अमरपुरा ग्रवेल सड़क से पहले एन.एच. 76 पर नाला पुल) तक है इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा अमरपुरा ग्राम ग्रवेल सड़क के निकट नाला, चूना पत्थर खनन क्षेत्र का परसोली ग्राम फतेहपुर ग्राम सड़क तक है। के साथ दक्षिण भाग की ओर मुड़ती है। इसके बाद सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 9 (एन.एच. 76 पर फतेहपुर सड़क पुल) तक फतेहपुर ग्राम सड़क के साथ उत्तर भाग मुड़ती है। इस बिंदु से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा एन.एच. 76 नाल चौराहा तक के साथ पुनः जाती है।
-------	--

पूर्व	क्षेत्र बस्सी वन्यजीव अभयारण्य के नाल चौराहा से नाल-मूरोली-उमरकखल-गटाबव तीराहा है तक, अनोप्पुरा-फतेहपुरा-चरचा ग्राम की पश्चिम सीमा और मध्य प्रदेश सीमा के बीच सड़क है।
दक्षिण	मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्र 2 किलोमीटर की लंबाई में बस्सी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से आरंभ होकर राजस्थान के चरचा ग्राम कून्थाली का संपूर्ण क्षेत्र, मध्य प्रदेश के माताजी का खेड़ा और ग्वालियर कलां ग्रामों के देवदूंगरी ग्राम (राजस्थान) तक है।
पश्चिम	पुल सं. 8 तक विजयपुर—बस्सी सड़क के साथ बस्सी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से देवदूंगरी ग्राम के बीच का क्षेत्र, पुल सं. 8 से कैलजर तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा और बस्सी वन्यजीव अभयारण्य को अतिछादित किया गया है। विजयपुर- बस्सी के साथ कैलजर ग्राम से पल्का तीराहा तक और बस्सी मेघपुरा लिंक सड़क के साथ पल्का तीराहा से मेघपुरा चौराहा तक।


उपाबंध-IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बस्सी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




उपाबंध- IIख

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बस्ती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध- IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बस्ती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क : बस्सी वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान / दिशा	अक्षांश (उ)			देशांतर (पू)		
					(डीएमएस)			(डीएमएस)
1	बस्सी बांध के निकट	उत्तर-पूर्व	25	2	12.13	74	49	32.27
2			25	2	31.87	74	50	11.66
3	भेरुघाटी	पश्चिम-उत्तर	25	3	37.12	74	50	55.11
4			25	3	56.95	74	50	37.68
5			25	4	22.64	74	50	41.9
6	राजगढ़ ग्राम के निकट	पूर्व	25	5	2.8	74	50	55.54
7			25	4	59.99	74	51	5.57
8			25	4	19.05	74	51	0.53
9			25	4	17.44	74	51	8.42
10			25	3	15.75	74	51	21.03
11			25	3	4.04	74	51	33.48
12			25	3	11.4	74	51	42.91
13			25	3	9.11	74	51	55.94
14			25	3	7.12	74	51	54.63
15			25	2	56.77	74	52	13.82
16			25	3	4.31	74	52	19.23
17			25	3	2.19	74	52	37.08
18			25	2	56.44	74	52	43.44
19			25	2	59.84	74	52	51.37
20			25	3	2.15	74	53	15.33
21			25	3	32.44	74	54	14.5
22			25	3	54.7	74	53	58.26
23			25	3	46.62	74	53	42.67
24			25	3	41.35	74	53	45.77
25			25	3	27.96	74	52	50.15
26			25	4	35.94	74	51	36.2
27			25	5	54.95	74	51	45.81
28			25	6	37.17	74	52	31.39
29	नाका परसोली वन के निकट	उत्तर-पूर्व	25	6	26.88	74	52	45.26
30			25	5	37.53	74	52	23.95
31			25	5	5.93	74	52	29.36

32	नाहरगढ़ पैलेस के निकट	दक्षिण	25	4	42.57	74	53	15.78
33			25	4	51.43	74	54	4.79
34			25	4	56.06	74	54	4.95
35			25	5	0.35	74	54	33.17
36			25	5	9.43	74	54	36.24
37			25	5	10.9	74	54	58.33
38			25	5	12.56	74	55	38.16
39			25	5	22.45	74	55	42.39
40			25	5	34.01	74	55	38.6
41			25	6	5.11	74	55	58.61
42			25	6	7.21	74	56	29.84
43	सोमानी रिजॉर्ट के निकट	पूर्व-दक्षिण	25	5	44.83	74	56	53.03
44			25	5	17.78	74	57	7.47
45			25	5	14.71	74	56	53.99
46			25	5	6.62	74	56	43.7
47			25	4	26.01	74	56	28.93
48			25	4	26.7	74	56	24.15
49			25	3	44.39	74	56	9.52
50			25	3	40.64	74	56	18.06
51			25	3	13.49	74	56	18
52			25	3	10.56	74	56	25.13
53			25	2	56.96	74	56	21.6
54			25	3	3.94	74	55	52.85
55			25	2	23.93	74	55	5.71
56			25	2	18.09	74	55	13.46
57			25	1	18.4	74	55	6.85
58			25	0	0.49	74	55	16.41
59			24	59	48.34	74	55	7.97
60			24	59	35.09	74	55	10.87
61			24	58	57.6	74	55	32.51
62			24	58	34.5	74	55	36.19
63			24	58	21.59	74	55	32.29
64			24	58	0.52	74	55	14.05
65			24	57	42.59	74	54	45.34
66	कदमाली तालाव के निकट	पूर्व	24	57	48.91	74	54	5.36
67			24	58	5.95	74	53	58.42

68			24	58	25.09	74	53	42.12
69			24	58	36.18	74	53	51.93
70			24	59	0.53	74	53	23.98
71			24	58	58.95	74	53	13.35
72			24	57	54.44	74	53	9.87
73			24	57	42.69	74	52	58.44
74			24	57	1.47	74	53	19.48
75			24	56	43.75	74	53	20.37
76			24	56	19.42	74	53	30.62
77			24	56	8.76	74	53	38.09
78			24	56	13.89	74	53	53.68
79			24	56	23.82	74	54	0.72
80			24	56	26.76	74	54	39.75
81			24	55	20.25	74	54	59.06
82	मध्य प्रदेश सीमा		24	54	59.97	74	54	37.74
83	मध्य प्रदेश सीमा		24	55	4.61	74	55	27.05
84	मध्य प्रदेश सीमा		24	55	48.15	74	54	10.57
85	मध्य प्रदेश सीमा		24	55	46.44	74	53	28.81
86	मध्य प्रदेश सीमा		24	56	14.3	74	53	14.82
87	मध्य प्रदेश सीमा		24	56	14.07	74	52	48.76
88	मध्य प्रदेश सीमा		24	55	46.62	74	52	44.67
89	मध्य प्रदेश सीमा		24	55	28.75	74	52	9.37
90	मध्य प्रदेश सीमा		24	57	13.41	74	51	44.72
91	मध्य प्रदेश सीमा		24	57	20.43	74	51	33.84
92	मध्य प्रदेश सीमा		24	57	40.29	74	51	33.48
93	मध्य प्रदेश सीमा		24	57	49.45	74	51	30.53
94	मध्य प्रदेश सीमा		24	58	4.2	74	51	5.65
95	मध्य प्रदेश सीमा		24	58	0.03	74	50	55.63
96	मध्य प्रदेश सीमा		24	58	7.12	74	50	34.55
97	मध्य प्रदेश सीमा		24	57	35.7	74	50	0.4
98			24	58	52.29	74	50	1.43
99			24	59	4.59	74	50	6.44
100			24	59	13.64	74	49	55.08
101			24	59	30.92	74	49	50.27
102			24	59	27.01	74	48	57.22
103			24	58	56.11	74	48	21.11
104			24	58	27.72	74	48	23.12

105			24	58	23.07	74	48	20.8
106			24	57	29.11	74	48	23.23
107			24	56	36.43	74	48	34.26
108			24	57	12.78	74	48	6.29
109			24	57	48.59	74	47	58.92
110			24	57	39.03	74	47	34.4
111	एम डी आर बस्सी- विजईपुर		24	57	25.42	74	47	31.1
112			24	57	23.27	74	47	25.99
113			24	57	31.28	74	47	9.64
114			24	58	32.86	74	47	3.88
115			24	59	4.19	74	47	0.07
116			24	59	54.38	74	47	10
117	विजईपुर तिराहा के निकट	पूर्व	25	0	39.54	74	47	8.54
118			25	0	43.14	74	47	22.44
119			25	1	0.02	74	47	32.41
120			25	1	11.34	74	47	38
121			25	1	20.85	74	48	1.29
122			25	1	22.46	74	48	30.63
123			25	1	47.25	74	48	50.72
124			25	1	56.88	74	49	7.42
125			25	2	7.01	74	49	14.43

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु सं.	अक्षांश (उ) (डीएमएस)			देशांतर (पू) (डीएमएस)		
	1	25	6	38.51	74	52
2	25	6	35.43	74	52	40.26
3	25	6	29.69	74	52	44.29
4	25	6	22.3	74	52	46.64
5	25	6	16.44	74	52	51.82
6	25	6	14.71	74	53	1.24
7	25	6	21.52	74	53	21.94
7 I	25	6	13.69	74	53	28.71
7 II	25	6	3.48	74	53	31.81
8	25	6	3.57	74	53	34.35

8 I	25	6	2.57	74	53	44.12
8 II	25	6	4.44	74	53	50.79
8 III	25	5	59.49	74	53	59.75
9	25	6	19.49	74	54	4.13
10	25	6	10.12	74	54	45.15
11	25	6	10.32	74	54	56.76
12	25	6	21.36	74	55	26.51
13	25	6	29.13	74	55	53.82
14	25	6	14.89	74	56	31.93
15	25	5	47.19	74	57	2.23
16	25	5	41.21	74	56	59.6
17	25	5	7.66	74	57	12
18	25	4	51.17	74	57	3.53
19	25	4	34.51	74	56	47.23
20	25	4	22.23	74	56	37.85
21	25	4	1.06	74	56	37.66
22	25	3	36.42	74	56	29.7
23	25	2	54.41	74	56	20.78
24	25	2	49.8	74	56	22.72
25	25	2	35.18	74	56	6.63
26	25	2	23.56	74	55	46.77
27	25	2	6.9	74	55	39.45
28	25	1	47.79	74	55	31.32
29	25	1	48.78	74	55	22.12
30	25	1	42.03	74	55	18.44
31	25	1	26.63	74	55	24.42
32	25	1	22.5	74	55	28.76
33	25	1	0.53	74	55	29.83
34	25	0	28.81	74	55	40.64
35	25	0	15.25	74	55	45.49
36	25	0	13.38	74	55	29.22
37	24	59	57.61	74	55	26.49
38	24	59	53.99	74	55	26.39
39	24	59	51.63	74	55	27.76
40	24	59	50.15	74	55	31.22
41	24	59	36.67	74	55	32.37
42	24	59	36.05	74	55	34.09

43	24	59	26.17	74	55	35.93
44	24	59	23.47	74	55	51.74
45	24	59	13.56	74	55	56.82
46	24	59	13.78	74	56	7.59
47	24	58	48.91	74	56	1.13
48	24	58	43.02	74	55	50.93
49	24	58	18.98	74	55	30.39
50	24	57	58.72	74	55	13.02
51	24	57	34.57	74	54	38.56
52	24	57	26.12	74	54	22.41
53	24	57	3.73	74	54	23.01
54	24	56	59.32	74	54	29.19
55	24	56	44.93	74	54	35.88
56	24	56	44.03	74	54	42.12
57	24	56	29.53	74	54	42.71
58	24	55	26.86	74	55	6.33
59	24	54	48.54	74	55	10.01
60	24	54	46.89	74	54	55.62
61	24	54	42.87	74	54	48.37
62	24	54	43.72	74	54	44.22
63	24	54	31.8	74	54	37.72
64	24	54	32.95	74	54	12.7
65	24	54	22.48	74	54	12.34
66	24	54	14.05	74	54	7.53
67	24	54	12.54	74	54	5.07
68	24	54	8.22	74	54	4.44
69	24	54	6.27	74	54	0.15
70	24	54	7.42	74	53	53.44
71	24	54	43.4	74	53	24.75
72	24	54	21.82	74	52	16.93
73	24	54	41.39	74	51	32.46
74	24	55	25.01	74	51	2.77
75	24	55	51.05	74	50	37.23
76	24	56	20.72	74	50	42.01
77	24	56	36.33	74	50	35.73
78	24	56	29.47	74	50	0.71
79	24	56	0.56	74	49	39.85

80	24	55	35.39	74	48	43.91
81	24	55	50.47	74	47	48.86
82	24	56	24.1	74	47	42.4
83	24	57	14.72	74	47	36.78
84	24	57	23.41	74	47	7.49
85	24	57	56.7	74	47	2.76
86	24	58	33.24	74	47	3.17
87	24	58	39.83	74	46	53.84
88	25	0	19.49	74	47	3.61
89	25	0	41.56	74	46	57.1
90	25	1	25.45	74	47	32.45
91	25	1	46.29	74	48	41.47
92	25	1	52.2	74	48	45.51
93	25	2	8.15	74	49	14.45
94	25	2	41.52	74	50	22.42
95	25	3	36.32	74	50	52.95
96	25	4	2.98	74	50	33.25
97	25	4	33.76	74	50	41.85
98	25	5	17.6	74	51	1.44
99	25	5	22.67	74	51	6.44
100	25	5	31.59	74	51	29.32
101	25	5	53.11	74	51	44.01
102	25	6	12.36	74	52	0.21
103	25	6	26.3	74	52	9.71

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांको के साथ बस्सी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार	तहसील/तालुका	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1	परसोली (आंशिक)	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	24° 6' 3.67"	74°53'40.87"
2	नाहरगड़	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	25°05'17.57"	74°53'41.83"
3	गनेश गंज	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	25°05'13.00"	74°53'50.01"
4	अमरपुरा	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	24° 05'52.71"	74°54'45.54"
5	फतेपुरा	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	25° 05'20.00"	74° 54' 12.20"
6	गंगापुर	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	25° 6'27.81"	74°55'26.79"
7	बिचोर (आंशिक)	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	25° 6'22.64"	74°56'7.76"
8	नाल (आंशिक)	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	25° 4'8.34"	74°56'18.29"
9	डेवरिया (आंशिक)	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	25° 03'3.80"	74°56'50.52"
10	मुरोली (आंशिक)	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	25° 2'54.34"	74°56'7.76"
11	सोपुरा	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	25° 1'17.34"	74°55'36.20"
12	घनश्यामपुरा (आंशिक)	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	25°01'89.56"	74°55'27.88"
13	उमार का खाल (आंशिक)	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	24°59'42.34"	74°55'49.35"
14	खेरी अनुपपुरा	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	24°58'91.34"	74°54'60.09"
15	मजेरी	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	24° 57' 30.10"	74° 53' 27.10"
16	जवदीया नाया	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	24°57'06.55"	74°53'04.29"
17	जवदीया जुना	राजस्व	वैगून	चित्तौड़गढ़	24°57'10.43"	74°53'48.07"
18	कुंताली (एम. पी) (आंशिक)	राजस्व	निमच (एम.पी)	निमच (एम.पी)	24°54'7.62"	74°54'29.92"
19	माताजी का खेरा (एम. पी)	राजस्व	निमच (एम.पी)	निमच (एम.पी)	24°56'44.88"	74°53'39.37"
20	गवालीयर का कलान (एम. पी) (आंशिक)	राजस्व	निमच (एम.पी)	निमच (एम.पी)	24°56'36.51"	74°51'48.97"
21	फुसरिया	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	24°58'73.85"	74°49'44.69"
22	मेवासा	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	25°0'1.38"	74°48'24.64"
23	केवदीया	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	24°59'90.50"	74°50'17.23"
24	सुरतसिंह का खेरा	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	24°58'51.92"	74°49'57.12"
25	गरोल	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	24°55'55.83"	74°49'6.76"
26	बंदा	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	24°57'12.42"	74°47'43.96"

27	राजपुरिया	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	24°56'32.44	74°48'41.16"
28	देवदुगरी (आंशिक)	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	24°56'58.28"	74°48'64.89"
29	बावरी खेरा	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	24°57'15.71"	74°48'58.13"
30	भुंगरिया	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	24° 57'10.40"	74° 47'45.20"
31	काइलजार (आंशिक)	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	24°58'52.07"	74°47'7.52"
32	बस्ती (आंशिक)	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	25°1'48.49"	74°46'57.21"
33	पालका (आंशिक)	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	25°02'56.58'	74°47'38.71"
34	नया पालका	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	25°02'56.58'	74°48'38.71"
35	मेघपुरा (आंशिक)	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	24°02'36.77'	74°48'48.22"
36	गोपालपुरा (आंशिक)	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	25°04'30.67'	74°50'50.90"
37	कंडालिया	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	25°03'1.45"	74°51'40.62"
38	राईपुरिया	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	25°03'13.45"	74°50'44.12"
39	चिनपुरिया	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	25°04'59.19"	74°50'57.21"
40	नाया गाओ	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	25°04' 14.48"	74°51' 14.62"
41	राजगढ़ सिंगारी (आंशिक)	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	25°05'9.18"	74°51'23.32"
42	सुलतापुरा	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	24°04'0.14"	74°51'3.30"
43	देकरीखेरा	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	25°4' 7.68"	74°51'34.14"
44	महेशारा	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	25°38'59.94"	74°52'47.82"
45	उल्लुपुरा	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	24°52'10.03"	74°36'58.49"
46	बसोथा	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	25°3'25.13"	74°54'22.54"
47	नथवाथो का खेरा	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	24°6'51.92"	74°52'57.21"
48	पात	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	25°01'55.67"	74°51'52.04"
49	डेलवाद	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	24°59'19.47"	74°51'36.91"
50	उमरथुना	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	25°02'23.06"	74°53'58.58"
51	आमझारिया	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	24°59'19.47"	74°51'36.91"
52	सलारिया	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	24°59'14.21"	74°50'52.04"
53	निलिया का माल	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	24°59'19.47"	74°54'36.91"
54	भाचेरी	राजस्व	बैगून	चित्तौड़गढ़	24°59'76.59"	74°54'90.56"
55	बोबला कलान	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	24°57'1.65"	74°47'10.93"
56	बोबला खुर्द	राजस्व	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	24°58'49.86"	74°47'49.86"

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक् उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th, April, 2021

S.O. 1717(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 4008(E), dated the 4th November 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 6th November 2019;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

WHEREAS, Bassi Wildlife Sanctuary is spread over an area of 138.69 square kilometres and located in Chittorgarh and Begun Tehsil of Chittorgarh District in the State of Rajasthan;

AND WHEREAS, the revenue area inside the notified boundary of the Bassi Wildlife Sanctuary is not part of the Sanctuary as mentioned in the notification. The Orai river across which Orai and Bassi dams have been constructed passes through this Sanctuary. These dams provide excellent water facility to wild animals and birds. It harbours rich biodiversity with the habitation of various types of wild animals and birds. A variety of medicinal plants and herbs are found in this area. The religious places such as Jharia Mahadev, Tukra Mata and Jhaleshwar Mahadev attract large number of pilgrims;

AND WHEREAS, the major tree species of the Sanctuary are *Acacia catechu* (khair), *Acacia leucophloea* (ronjh), *Acacia nilotica* (desi bawalia), *Acacia senegal* (kumta), *Adina cordifolia* (haldu), *Aegle marmelos* (bili), *Ailanthus excelsa* (ardusa, paba), *Alangium salvifolium* (ankol), *Albizia lebbeck* (black siris), *Albizia odoratissima* (safed siris), *Albizia procera* (safed siris), *Annona squamosa* (sitaphal), *Anogeissus pendula* (dhokda), *Anogeissus latifolia* (dhavda), *Anogeissus sericea* (adruk, indok), *Anogeissus acuminata* (dhok), *Azadirachta indica* (neem), *Balanites aegyptica* (hingot), *Bauhenia recemosa* (jhinjha, heetri), *Bombax ceiba* (semal), *Boswellia serrata* (salar), *Butea monosperma* (khakhro), *Cassia fistula* (karmela), *Cassia siamea* (kasid), *Cordia mixa* (gunda, lisoda), *Crataeva religiosa* (varna), *Dalbergia sissoo* (sissoo), *Diospyros melanoxylon* (timru), *Ehretia laevis* (tambolia), *Embllica officinalis* (amla), *Erythrina suberosa* (dhed khakhro), *Eucluptus* sp. (nilgiri), *Ficus benghalensis* (vad), *Ficus*

racemosa (umara), *Ficus religiosa* (piplo), *Flacourtia montana* (kankan), *Gardenia resinifera* (dikamari), *Grewia hirsuta* (khad dhaman), *Grewia tenax* (gangeti), *Grewia tiliaefolia* (dhaman), *Grewia villosa* (gangeti), *Holoptelia integrifolia* (kanji), *Hymenodictyon excelsum* (lunio), *Lannea coromandelica* (godla), *Leucaena leucocephala* (subabul), *Limonia acidissima* (kotbadi), *Madhuca indica* (mahudo), *Mangifera indica* (amba), *Melia azaderach* (bakain neem), *Mitragyna parviflora* (kalam), *Moringa oleifera* (sahjana), *Pithecellobium dulce* (kikar), *Pongamia pinnata* (karanj), *Prosopis cineraria* (khijdo), *Prosopis juliflora* (vilayati), *Soymida fabrifuga* (royan), *Sterculia urens* (kadaya), *Tamarindus indica* (khatri amlī), *Tecomella undulata* (rohida), *Wrightia tinctoria* (dudhi), *Wrightia tomentosa* (dudhi), *Zizyphus mauritiana* (bordi), *Zizyphus xylophyrus* (ghat bor), etc;

AND WHEREAS, the shrubs recorded from the Sanctuary are *Abelmoschus manihot* (jungli bhindi), *Achyranthus aspera* (ulta kanta), *Aloe vera* (patha), *Brassica nigra* (kali rai), *Cannabis sativa* (bhāng), *Cassia abrus* (chimod), *Cassia tora* (puwad), *Chenopodium album* (chil), *Crotalaria juncea* (saniya), *Crotalaria medicaginea* (ran methi), *Desmodium dichotomum* (shal parni), *Eclipta alba* (bhāngaro), *Evolvulus alsinoides* (kalishankhāvali), *Leucas aspera* (kubi), *Leucas cephalotes* (kubo jungli), *Leucas zeylanica* (kubo), *Lindenbergia indica* (patharchati), *Ocimum canum* (jungli tulsi), *Phyllanthus niruri* (bhoi amlī), *Physalis minima* (popatiya), *Portulacaceae oleracea* (moti luni), *Portulacaceae quadrifida* (zini luni), *Seasmum indicum* (tal), *Solanum surattense* (bhoi ringni), *Tribulus terrestris* (gokharu), *Tridax procumbens* (kali mendhi), *Urginea indica* (jungli piyaj), *Vernonia anthihelmintica* (kali jiri), *Xanthium strumarium* (gokharu), *Zornia diphylla* (samar ani), etc;

AND WHEREAS, major shrubs available in the Sanctuary are *Adhatoda vesica* (ardusa), *Calotropis gigantea* (akdo), *Calotropis procera* (akdo), *Capparis decidua* (ker), *Capparis sepieria* (kanther), *Clerodendron phlomidis* (arani), *Dendrocolamus strictus* (bans), *Dendrophoe fulcuta* (vahi-hankal), *Dichrostachys cinerea* (goya khair), *Euphorbia cadueifolia* (thor), *Euphorbia nivulia* (thor), *Helicteres isora* (marod phali), *Holarrhena antidysenterica* (kadwa), *Jatropha carcus* (ratna jyot), *Jatropha gossypifolia* (chhoti ratan jyot), *Kirganelia reticulata* (kamboi), *Leptadenia pyrotechnica* (khinp), *Mimosa hamata* (aila), *Nyctenthes arbor-tristis* (tamat), *Plumbago zeylanica* (chitrak), *Ricinus communis* (arundo), *Securinega leucopyrus* (shenvi), *Thespesia lampas* (paras pipal), *Vitex nigundo* (nagod), *Vogelia indica* (chitawal), *Woodfordia fruticosa* (dhavadi), *Zizyphus glabarata* (bordi), *Zizyphus nummularia* (chanibor), etc;

AND WHEREAS, prominent climbers plant recorded from the Bassi Wildlife Sanctuary are *Abrus precatorius* (ratti), *Ampelocissus latifolia* (khata limbu), *Asparagus racemosus* (satvari), *Cardiospermum halicacabum* (kak mardika), *Celastrus paniculata* (mali), *Cissampelos pareira* (pahod bel), *Coccinia indica* (tindori), *Cocculus hirsutus* (vevdi), *Cuscuta reflexa* (amarvel), *Dioscorea bulbifera* (varahi kand), *Hemidesmus indicus* (dudhvel), *Ipomoea nil* (kaladana), *Luffa acutangula* (turia), *Luffa echinata* (kakadvel), *Mucuna pruriens* (kavach), *Peuraria taberosa* (gejvi), *Rhynchosia bracteata* (kamal vel), etc;

AND WHEREAS, major fauna found in the Bassi Wildlife Sanctuary are wild boar (*Sus scrofa*), grey musk shrew (*Sunchus murinus*), bat (*Cyanopterus sphynx*), flying fox (*Pteropus giganteus*), panther (*Panthera pardus*), common langur (*Prebyitis entellus*), striped hyena (*Hyaena hyaena*), jungle cat (*Felis chaus*), five striped palm squirrel (*Funambulus pennanti*), Indian pangolin (*Manis carassicaudata*), Indian fox (*Vulpes bengalensis*), common mongoose (*Herpestes edwardsi*), ruddy mongoose (*H. smithi*), house rat (*Rattus rattus*), blue bull (*Boselaphus tragocamelus*), Indian hare (*Lepus nigricollis*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), chinkara (*Gazella gazella*), jackal (*Canis aureus*), Indian small civet (*Vivarrica indica*), Indian bull frog (*Rana tigerina*), Indian burrowing frog (*R. tomopterna*), skipper frog (*R. cynophlyctius*), cricket frog (*R. limnocharis*), Indian balloon frog (*Uperodon systema*), common toad (*Bufo melanocictus*), marbled toad (*B. andersoni*), common skink (*Mabuya carinata*), cheakered keelback (*Natrix piscator*), rat snake (*Ptyas mucosus*), house lizard (*Hemidactylus flaviviridis*), starred tortoise (*Geochalone elegans*), garden lizard (*Calotes versicolor*), common Indian krait (*Bungarus caeruleus*), Russel's viper (*Vipera russelli*), Indian chamaeleon (*Chamaeleon zeylanicus*), katla (*Catla catla*), rohu (*Labeo rohita*), grigal (*Cirrhina mrigal*), putthi (*Puntius sarana*), sarsi (*Labeogranius*), lanchi (*Wallago attu*), singhara (*Mystus seenghati*), kater (*Mystus cavassius*), sanwal (*Channa manilius*), singhi (*Heteropntustis fossilis*), bam (*M. armatus*), suiya (*Bellana cancella*), baata (*Labeo baata*), dudhia (*Labeo bugget*), etc;

AND WHEREAS, the bird species recorded from the Bassi Wildlife Sanctuary are painted francolin (*Francolinus pictus*), grey francolin (*F. Pondicerianus*), common quail (*Coturnix coturnix*), barred button quail (*T. Suscitator*), Indian peafowl (*Pavo cristatus*), Rudd shelduck (*Tadorana ferruginea*), gadwal (*Anas strepera*), Eurasian wigeon (*A. Penelope*), spot-billed duck (*A. Poecilorhyncha*), common Pochard (*Aythya farina*), common Teal (*A. Crecca*), yellow-crowned woodpecker (*Dendrocopos mahrattensis*), black rumped flameback (*Dinopium benghalensis*), coppersmith barbet (*M. Heamecephala*), Indian grey hornbill (*Ocyrceros birostris*), common hoopoe (*Upupa epops*), European Roller (*Coracias garrulous*), Indian roller (*C. Benghalensis*), common kingfisher (*Upupa epops*), white-throated kingfisher (*Halcyon smyrnensis*), pied kingfisher (*Ceryle rudis*), green bee-eater (*Merops orientalis*), rose-ringed Parakeet (*P. Krameri plum-headed parakeet* (*P. cynocephala*), house swift (*Apus affinis*), Eurasian Eagle Owl (*Bubo bubo*), spotted owl (*Athene brama*), Indian nightjar (*Caprimulgus asiaticus*), cavanna nightjar (*C. Affinis*), rock pigeon (*Columba livia*), yellow-footed green pigeon (*Treron phoenicoptera*), laughing dove (*Streptopelia senegalensis*), spotted Dove (*S. Chinensis*), European collared dove (*S. decaocto*), common moorhen (*Gallinula chloropus*), common coot (*Fulica atra*), common redshank (*Tringa tetanus*), Green Sandpiper (*T.*

Ochropus), wood sandpiper (*T. Glareola*), common sandpiper (*Actitis hypoleucos*), European thick-knee (*Burhinus oedicnemus*), Little-ringed plover (*Charadrius dubius*), red-wattled Lapwing (*Vanellus indicus*), River Tern (*Sterna aurantia*), black-shouldered kite (*Elanus caeruleus*), black kite (*Milvus migrans*), Egyptian vulture (*Neophron percnopterus*), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Bassi Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero to 3.0 kilometres around the boundary of Bassi Wildlife Sanctuary, in Chittorgarh district in the State of Rajasthan as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone.** – (1) The Eco-Sensitive Zone shall be to an extent of zero to 3.0 kilometres around the boundary of Bassi Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-Sensitive Zone is 106.91 square kilometres. The minimum extent of Eco-Sensitive Zone is zero at places where the National Highway and PWD road are marked as ESZ boundary.

Direction	Eco-sensitive Zone Boundary Points	Distance
North	1 to 14	0 to 3.0 kms
North-East	14 to 17	0.015 to 0.5 kms
East	17 to 48	0 to 1.11 kms
South –East	48 to 58	0 to 3.0 kms
South	58 to 81	0.5 to 3.0 kms
South-West	81 to 84	0.157 to 1.4 kms
West	84 to 89	0.015 to 0.325 kms
North-West	89 to 1	0.030 to 0.650 kms

- (2) The boundary description of Bassi Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
- (3) The maps of the Bassi Wildlife Sanctuary demarcating Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**, **Annexure-IIB** and **Annexure-IIC**.
- (4) List of geo-coordinates of the boundary of Bassi Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III**.
- (5) The list of villages falling in the proposed Eco-Sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;

- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj; and
- (xi) Public Works Department.

- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government. -The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

- (b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;
- (b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;
- (c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;
- (d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;
- (e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:
- Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.** - All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** -Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.** -Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.— Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management. -The construction and demolition waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. -Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(ii) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs

		<p>of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive zone;</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.</p>
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	<p>New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted:</p> <p>Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.</p>
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
9.	New wood based industry.	Prohibited.
10.	Fishing.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
12.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be</p>

		regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
24.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.

28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification. -For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Chittorgarh	Chairman, ex officio;
(ii)	One representative of Non-Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of one year in each case	Member;
(iii)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of one year in each case	Member;
(iv)	One representative from the State Biodiversity Board	Member;
(v)	District level officers of the Public Works Department	Member;
(vi)	District level officers of the Town Planning Department	Member;
(vii)	District level officers of the Industry Department	Member;
(viii)	Regional Officer (RO) of the State Pollution Control Board	Member;
(ix)	Honorary Wildlife Warden, Chittorgarh	Member;
(x)	Assistant Conservator of Forests, Bassi Wildlife Sanctuary	Member-Secretary.

6. **Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4

thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa appended at **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/21/2015-ESZ-RE]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I


BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BASSI WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE RAJASTHAN

North	From Meghpura Chauraha the N.H. 76 upto the dispensary of Parsoli Village. From this point the ESZ Boundary continues along the N.H. 76 upto ESZ boundary Point no. 7 (Nala Bridge on N.H. 76 before Amarpura gravel road) then ESZ Boundary turn to south side along Nala near Amarpura village gravel road, Limestone mining area of Parsoli village upto Fatehpur village road then boundary turn to north side along with Fatehpur village road upto ESZ boundary point no. 9 (Fatehpur Road Bridge on N.H.76) of ESZ boundary. From this point the ESZ Boundary continues along the N.H. 76 Upto Nal Chauraha.
East	Thea area in between road from Nal Chauraha to villages Nal –Muroli-Umarkakhal – Gatabav Tiraha , West Boundary of Anoppura –Fatehpura –Charcha village and up to MP Border of the Bassi wildlife sanctuary.
South	The area of Madhya Pradesh state in a length of 2 km from the boundary of Bassi wildlife sanctuary starting from Charcha village of Rajasthan, whole area of Kunthali, Mataji ka khera and Gwaliar kalan villages of Madhya Pradesh upto village Devdungari (Rajsthan).

West	The area between the boundary of Bassi wildlife sanctuary from Devdugari village along vijaypur-Bassi road upto Bridge No. 8 From Bridge No. 8 to kailjar the Boundary of Eco-sensitive Zone and Bassi wildlife sanctuary shall overlap..From kailar village to Palka Tiraha along Vijaypur-Bassi and form Palka Tiraha to Meghpura Choraha along Bassi-Meghpura link Road.
------	---


ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BASSI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BASSI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE- IIC

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BASSI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF BASSI WILDLIFE SANCTUARY

S.No	Identification of Prominent Points	Location/ Direction Prominent Point	Latitude (N) (DMS)			Longitude (E) (DMS)		
1	Near Bassi Dam	North-East	25	2	12.13	74	49	32.27
2			25	2	31.87	74	50	11.66
3	Bherughati	West-North	25	3	37.12	74	50	55.11
4			25	3	56.95	74	50	37.68
5			25	4	22.64	74	50	41.9
6	Near Rajgarh village	East	25	5	2.8	74	50	55.54
7			25	4	59.99	74	51	5.57
8			25	4	19.05	74	51	0.53
9			25	4	17.44	74	51	8.42
10			25	3	15.75	74	51	21.03
11			25	3	4.04	74	51	33.48
12			25	3	11.4	74	51	42.91
13			25	3	9.11	74	51	55.94
14			25	3	7.12	74	51	54.63
15			25	2	56.77	74	52	13.82
16			25	3	4.31	74	52	19.23
17			25	3	2.19	74	52	37.08
18			25	2	56.44	74	52	43.44
19			25	2	59.84	74	52	51.37
20			25	3	2.15	74	53	15.33
21			25	3	32.44	74	54	14.5
22			25	3	54.7	74	53	58.26
23			25	3	46.62	74	53	42.67
24			25	3	41.35	74	53	45.77
25			25	3	27.96	74	52	50.15
26			25	4	35.94	74	51	36.2
27			25	5	54.95	74	51	45.81
28			25	6	37.17	74	52	31.39
29	Near Forest Naka Parsoli	North-East	25	6	26.88	74	52	45.26
30			25	5	37.53	74	52	23.95
31			25	5	5.93	74	52	29.36
32	Near Naharghar Palace	South	25	4	42.57	74	53	15.78
33			25	4	51.43	74	54	4.79
34			25	4	56.06	74	54	4.95
35			25	5	0.35	74	54	33.17
36			25	5	9.43	74	54	36.24
37			25	5	10.9	74	54	58.33
38			25	5	12.56	74	55	38.16

39			25	5	22.45	74	55	42.39
40			25	5	34.01	74	55	38.6
41			25	6	5.11	74	55	58.61
42			25	6	7.21	74	56	29.84
43	Near Somani Resort	East-South	25	5	44.83	74	56	53.03
44			25	5	17.78	74	57	7.47
45			25	5	14.71	74	56	53.99
46			25	5	6.62	74	56	43.7
47			25	4	26.01	74	56	28.93
48			25	4	26.7	74	56	24.15
49			25	3	44.39	74	56	9.52
50			25	3	40.64	74	56	18.06
51			25	3	13.49	74	56	18
52			25	3	10.56	74	56	25.13
53			25	2	56.96	74	56	21.6
54			25	3	3.94	74	55	52.85
55			25	2	23.93	74	55	5.71
56			25	2	18.09	74	55	13.46
57			25	1	18.4	74	55	6.85
58			25	0	0.49	74	55	16.41
59			24	59	48.34	74	55	7.97
60			24	59	35.09	74	55	10.87
61			24	58	57.6	74	55	32.51
62			24	58	34.5	74	55	36.19
63			24	58	21.59	74	55	32.29
64			24	58	0.52	74	55	14.05
65			24	57	42.59	74	54	45.34
66	Near Kadmali Talav	East	24	57	48.91	74	54	5.36
67			24	58	5.95	74	53	58.42
68			24	58	25.09	74	53	42.12
69			24	58	36.18	74	53	51.93
70			24	59	0.53	74	53	23.98
71			24	58	58.95	74	53	13.35
72			24	57	54.44	74	53	9.87
73			24	57	42.69	74	52	58.44
74			24	57	1.47	74	53	19.48
75			24	56	43.75	74	53	20.37
76			24	56	19.42	74	53	30.62
77			24	56	8.76	74	53	38.09
78			24	56	13.89	74	53	53.68
79			24	56	23.82	74	54	0.72
80			24	56	26.76	74	54	39.75
81			24	55	20.25	74	54	59.06
82	M.P. Border		24	54	59.97	74	54	37.74

83	M.P. Border		24	55	4.61	74	55	27.05
84	M.P. Border		24	55	48.15	74	54	10.57
85	M.P. Border		24	55	46.44	74	53	28.81
86	M.P. Border		24	56	14.3	74	53	14.82
87	M.P. Border		24	56	14.07	74	52	48.76
88	M.P. Border		24	55	46.62	74	52	44.67
89	M.P. Border		24	55	28.75	74	52	9.37
90	M.P. Border		24	57	13.41	74	51	44.72
91	M.P. Border		24	57	20.43	74	51	33.84
92	M.P. Border		24	57	40.29	74	51	33.48
93	M.P. Border		24	57	49.45	74	51	30.53
94	M.P. Border		24	58	4.2	74	51	5.65
95	M.P. Border		24	58	0.03	74	50	55.63
96	M.P. Border		24	58	7.12	74	50	34.55
97	M.P. Border		24	57	35.7	74	50	0.4
98			24	58	52.29	74	50	1.43
99			24	59	4.59	74	50	6.44
100			24	59	13.64	74	49	55.08
101			24	59	30.92	74	49	50.27
102			24	59	27.01	74	48	57.22
103			24	58	56.11	74	48	21.11
104			24	58	27.72	74	48	23.12
105			24	58	23.07	74	48	20.8
106			24	57	29.11	74	48	23.23
107			24	56	36.43	74	48	34.26
108			24	57	12.78	74	48	6.29
109			24	57	48.59	74	47	58.92
110			24	57	39.03	74	47	34.4
111	MDR Bassi-Vijaipur		24	57	25.42	74	47	31.1
112			24	57	23.27	74	47	25.99
113			24	57	31.28	74	47	9.64
114			24	58	32.86	74	47	3.88
115			24	59	4.19	74	47	0.07
116			24	59	54.38	74	47	10
117	Near Vijaipur Tiraha	East	25	0	39.54	74	47	8.54
118			25	0	43.14	74	47	22.44
119			25	1	0.02	74	47	32.41
120			25	1	11.34	74	47	38
121			25	1	20.85	74	48	1.29
122			25	1	22.46	74	48	30.63
123			25	1	47.25	74	48	50.72
124			25	1	56.88	74	49	7.42
125			25	2	7.01	74	49	14.43

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Point No.	Latitude (N) (DMS)			Longitude (E) (DMS)		
1	25	6	38.51	74	52	31.26
2	25	6	35.43	74	52	40.26
3	25	6	29.69	74	52	44.29
4	25	6	22.3	74	52	46.64
5	25	6	16.44	74	52	51.82
6	25	6	14.71	74	53	1.24
7	25	6	21.52	74	53	21.94
7 I	25	6	13.69	74	53	28.71
7 II	25	6	3.48	74	53	31.81
8	25	6	3.57	74	53	34.35
8 I	25	6	2.57	74	53	44.12
8 II	25	6	4.44	74	53	50.79
8 III	25	5	59.49	74	53	59.75
9	25	6	19.49	74	54	4.13
10	25	6	10.12	74	54	45.15
11	25	6	10.32	74	54	56.76
12	25	6	21.36	74	55	26.51
13	25	6	29.13	74	55	53.82
14	25	6	14.89	74	56	31.93
15	25	5	47.19	74	57	2.23
16	25	5	41.21	74	56	59.6
17	25	5	7.66	74	57	12
18	25	4	51.17	74	57	3.53
19	25	4	34.51	74	56	47.23
20	25	4	22.23	74	56	37.85
21	25	4	1.06	74	56	37.66
22	25	3	36.42	74	56	29.7
23	25	2	54.41	74	56	20.78
24	25	2	49.8	74	56	22.72
25	25	2	35.18	74	56	6.63
26	25	2	23.56	74	55	46.77
27	25	2	6.9	74	55	39.45
28	25	1	47.79	74	55	31.32
29	25	1	48.78	74	55	22.12
30	25	1	42.03	74	55	18.44
31	25	1	26.63	74	55	24.42
32	25	1	22.5	74	55	28.76
33	25	1	0.53	74	55	29.83
34	25	0	28.81	74	55	40.64
35	25	0	15.25	74	55	45.49
36	25	0	13.38	74	55	29.22

37	24	59	57.61	74	55	26.49
38	24	59	53.99	74	55	26.39
39	24	59	51.63	74	55	27.76
40	24	59	50.15	74	55	31.22
41	24	59	36.67	74	55	32.37
42	24	59	36.05	74	55	34.09
43	24	59	26.17	74	55	35.93
44	24	59	23.47	74	55	51.74
45	24	59	13.56	74	55	56.82
46	24	59	13.78	74	56	7.59
47	24	58	48.91	74	56	1.13
48	24	58	43.02	74	55	50.93
49	24	58	18.98	74	55	30.39
50	24	57	58.72	74	55	13.02
51	24	57	34.57	74	54	38.56
52	24	57	26.12	74	54	22.41
53	24	57	3.73	74	54	23.01
54	24	56	59.32	74	54	29.19
55	24	56	44.93	74	54	35.88
56	24	56	44.03	74	54	42.12
57	24	56	29.53	74	54	42.71
58	24	55	26.86	74	55	6.33
59	24	54	48.54	74	55	10.01
60	24	54	46.89	74	54	55.62
61	24	54	42.87	74	54	48.37
62	24	54	43.72	74	54	44.22
63	24	54	31.8	74	54	37.72
64	24	54	32.95	74	54	12.7
65	24	54	22.48	74	54	12.34
66	24	54	14.05	74	54	7.53
67	24	54	12.54	74	54	5.07
68	24	54	8.22	74	54	4.44
69	24	54	6.27	74	54	0.15
70	24	54	7.42	74	53	53.44
71	24	54	43.4	74	53	24.75
72	24	54	21.82	74	52	16.93
73	24	54	41.39	74	51	32.46
74	24	55	25.01	74	51	2.77
75	24	55	51.05	74	50	37.23
76	24	56	20.72	74	50	42.01
77	24	56	36.33	74	50	35.73
78	24	56	29.47	74	50	0.71
79	24	56	0.56	74	49	39.85
80	24	55	35.39	74	48	43.91

81	24	55	50.47	74	47	48.86
82	24	56	24.1	74	47	42.4
83	24	57	14.72	74	47	36.78
84	24	57	23.41	74	47	7.49
85	24	57	56.7	74	47	2.76
86	24	58	33.24	74	47	3.17
87	24	58	39.83	74	46	53.84
88	25	0	19.49	74	47	3.61
89	25	0	41.56	74	46	57.1
90	25	1	25.45	74	47	32.45
91	25	1	46.29	74	48	41.47
92	25	1	52.2	74	48	45.51
93	25	2	8.15	74	49	14.45
94	25	2	41.52	74	50	22.42
95	25	3	36.32	74	50	52.95
96	25	4	2.98	74	50	33.25
97	25	4	33.76	74	50	41.85
98	25	5	17.6	74	51	1.44
99	25	5	22.67	74	51	6.44
100	25	5	31.59	74	51	29.32
101	25	5	53.11	74	51	44.01
102	25	6	12.36	74	52	0.21
103	25	6	26.3	74	52	9.71

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF BASSI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S.No.	Village Name	Type of Village	Tehsil/Taluka	District	Latitude(N) (DMS Format)	Longitude(E) (DMS) Format
1	Parsoli (partial)	Revenue	Begun	Chittorgarh	24° 6' 3.67''	74°53'40.87''
2	Nahargarh	Revenue	Begun	Chittorgarh	25°05'17.57''	74°53'41.83''
3	Ganesh Ganj	Revenue	Begun	Chittorgarh	25°05'13.00''	74°53'50.01''
4	Amarpura	Revenue	Begun	Chittorgarh	24° 05'52.71''	74°54'45.54''
5	Fathapura	Revenue	Begun	Chittorgarh	25° 05'20.00''	74° 54' 12.20''
6	Gangapur	Revenue	Begun	Chittorgarh	25° 6'27.81''	74°55'26.79''
7	Bichor (partial)	Revenue	Begun	Chittorgarh	25° 6'22.64''	74°56'7.76''
8	Naal (partial)	Revenue	Begun	Chittorgarh	25° 4'8.34''	74°56'18.29''
9	Devria (partial)	Revenue	Begun	Chittorgarh	25° 03'3.80''	74°56'50.52''
10	Muroli (partial)	Revenue	Begun	Chittorgarh	25° 2'54.34''	74°56'7.76''
11	Sopura	Revenue	Begun	Chittorgarh	25° 1'17.34''	74°55'36.20''
12	Ghanshyampura (partial)	Revenue	Begun	Chittorgarh	25°01'89.56''	74°55'27.88''
13	Umar ka khal (partial)	Revenue	Begun	Chittorgarh	24°59'42.34''	74°55'49.35''

14	Kheri Anuppura	Revenue	Begun	Chittorgarh	24°58'91.34''	74°54'60.09''
15	Majeri	Revenue	Begun	Chittorgarh	24° 57' 30.10''	74° 53' 27.10''
16	Javdiya Naya	Revenue	Begun	Chittorgarh	24°57'06.55''	74°53'04.29''
17	Javdiya Juna	Revenue	Begun	Chittorgarh	24°57'10.43''	74°53'48.07''
18	Kuntali (M.P.) (partial)	Revenue	Nimach (M.P.)	Nimach (M.P.)	24°54'7.62''	74°54'29.92''
19	Mataji ka khera (M.P.)	Revenue	Nimach (M.P.)	Nimach (M.P.)	24°56'44.88''	74°53'39.37''
20	Gwaliyar Kalan (M.P.) (partial)	Revenue	Nimach (M.P.)	Nimach (M.P.)	24°56'36.51''	74°51'48.97''
21	Phusriya	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	24°58'73.85''	74°49'44.69''
22	Mewasa	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	25°0'1.38''	74°48'24.64''
23	Kevdiya	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	24°59'90.50''	74°50'17.23''
24	Suratsingh ka khera	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	24°58'51.92''	74°49'57.12''
25	Garol	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	24°55'55.83''	74°49'6.76''
26	Banda	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	24°57'12.42''	74°47'43.96''
27	Rajpuria	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	24°56'32.44	74°48'41.16''
28	Devdugeri (partial)	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	24°56'58.28''	74°48'64.89''
29	Bawri khera	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	24°57'15.71''	74°48'58.13''
30	Bhungriya	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	24° 57'10.40''	74° 47'45.20''
31	Kailjar (partial)	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	24°58'52.07''	74°47'7.52''
32	Bassi (partial)	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	25°1'48.49''	74°46'57.21''
33	Palka (partial)	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	25°02'56.58'	74°47'38.71''
34	Naya Palka	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	25°02'56.58'	74°48'38.71''
35	Meghpura (partial)	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	24°02'36.77'	74°48'48.22''
36	Gopalpura (partial)	Revenue	Begun	Chittorgarh	25°04'30.67'	74°50'50.90''
37	Kundaliya	Revenue	Begun	Chittorgarh	25°03'1.45''	74°51'40.62''
38	Raipuriya	Revenue	Begun	Chittorgarh	25°03'13.45''	74°50'44.12''
39	Chainpuria	Revenue	Begun	Chittorgarh	25°04'59.19''	74°50'57.21''
40	Naya gao	Revenue	Begun	Chittorgarh	25°04' 14.48''	74°51' 14.62''
41	Rajgarh Singari (partial)	Revenue	Begun	Chittorgarh	25°05'9.18''	74°51'23.32''
42	Sultanpura	Revenue	Begun	Chittorgarh	24°04'0.14''	74°51'3.30''
43	Dekrikhera	Revenue	Begun	Chittorgarh	25°4' 7.68''	74°51'34.14''
44	Mahesara	Revenue	Begun	Chittorgarh	25°38'59.94''	74°52'47.82''
45	Ullupura	Revenue	Begun	Chittorgarh	24°52'10.03''	74°36'58.49''
46	Basotha	Revenue	Begun	Chittorgarh	25°3'25.13''	74°54'22.54''
47	Nathawatho ka khera	Revenue	Begun	Chittorgarh	24°6'51.92''	74°52'57.21''
48	Paat	Revenue	Begun	Chittorgarh	25°01'55.67''	74°51'52.04''
49	Delwad	Revenue	Begun	Chittorgarh	24°59'19.47''	74°51'36.91''
50	Umarthuna	Revenue	Begun	Chittorgarh	25°02'23.06''	74°53'58.58''
51	Aamjharia	Revenue	Begun	Chittorgarh	24°59'19.47''	74°51'36.91''
52	Salariya	Revenue	Begun	Chittorgarh	24°59'14.21''	74°50'52.04''

53	Niliya Ka maal	Revenue	Begun	Chittorgarh	24°59'19.47''	74°54'36.91''
54	Bhacheri	Revenue	Begun	Chittorgarh	24°59'76.59''	74°54'90.56''
55	Bobla Kalan	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	24°57'1.65''	74°47'10.93''
56	Bobla Khurd	Revenue	Chittorgarh	Chittorgarh	24°58'49.86''	74°47'49.86''

ANNEXURE –V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.